न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– श्री मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

वाद संख्या:– 56/2019 **दायरा दिनांक:– 22.03.2019**

–: अनवान :–

1. जगदीश उर्फ मोहन
2. कन्हैयालाल उर्फ कानाराम

} पुत्रगण रामेश्वरलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड न. 17 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.......वादीगण

बनाम

1. लिछमा देवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड न. 17 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. किशनलाल
3. श्रवण
4. राजू
5. पुष्पा
6. मीरा

} पुत्रगण व पुत्रीयां रामेश्वरलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड न. 17 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

7. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.......प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अमित सैनी, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री कुलविन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5, 6
3. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांक:– 25/09/2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी न. 1 व 2 व प्रतिवादी न. 2 ता 6 आपस में सगे भाई बहन हैं व प्रतिवादीया न. 1 हम सब की माता हैं। सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं व सारे स्व. रामेश्वरलाल पुत्र किशोरदास के प्रथम श्रेणी के जायज वारिस हैं। रामेश्वरलाल का स्वर्गवास दिनांक 03.11.1996 को हो चुका हैं। वादीगण न. 1 व 2 व प्रतिवादी न. 1 ता 6 व स्व. विमला के नाम से चक 36 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 85/76 के पत्थर नम्बर 54/376 मु.न. 33 के किला नम्बर 6 में 0.2530 हैक्टेयर, 7 में 0.2530 हैक्टेयर, 8/2 में 0.2150 हैक्टेयर, 13/3 में 0.1960 हैक्टेयर, 14/2 में 0.2400 हैक्टेयर, 15 में 0.2530 हैक्टेयर, 16/2 में 0.0130 हैक्टेयर कुल 1.4230 हैक्टेयर नहरी नाली प्रथम रकबा ... राजस्व रिकार्ड होकर कब्जा काश्त मे चला आ रहा हैं। वादी न. 1 जगदीश ... व वादी न. 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:45:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

कन्हैयालाल का घरूली नाम कानाराम हैं। जबकि सरकारी रिकार्ड में जैसे राशनकार्ड, आधारकार्ड, पेनकार्ड, मूलनिवासी व वोटरकार्ड सभी में जगदीश हैं। नगरपालिका सूरतगढ द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 07.01.1998 में भी जगदीश व कन्हैयालाल हैं। वादी न. 1 जगदीश का नगरपालिका सूरतगढ द्वारा वारिस प्रमाण पत्र कार्यालय नगरपालिका सूरतगढ़ श्रीगंगानगर क्रंमाक/167/NOC/97/98 दिनांक 07.01.1998 व वोटरकार्ड न. RJ/02/01128427 सन 15.05.1995 सूरतगढ से जारी व आधारकार्ड संख्या 4959–3797–8225 व पेनकार्ड BITPP1295G मूल निवासी प्रमाण पत्र क्रंमाक 2466 दिनांक 19.02.2002 व इसी प्रकार कन्हैयालाल का नाम वारिस प्रमाण पत्र नगरपालिका दिनांक 07.01.1998, वोटरकार्ड पहचान पत्र न. RJ/02/011/1128535 सन् 19.04.2007, ड्राईविंग लाईसेन्स न. DL/NO/RJ13/DLC/05/48485/दिनांक 25.06.2005, आधारकार्ड संख्या 5107–4963–2483 व पेनकार्ड संख्या AEDPL8546F, मूलनिवासी प्रमाण पत्र क्रंमाक 1882/दिनांक 25.05.1992 उपजिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ व राशनकार्ड न. 00044 वर्ष 2007 व जाति प्रमाण पत्र क्रंमाक 117 दिनांक 06.02.2003 संलग्न वाद पत्र हैं। इन सभी दस्तावेजात से साबित हैं कि वादीगण का वाद पत्र सरकारी दस्तावेजात पर आधारित हैं व यह बात भी पूरी तरह से साबित हैं कि वादी न. 1 जगदीश का घरूली नाम मोहन व कन्हैयालाल का घरूली नाम कानाराम हैं। दोनो के नाम भिन्न–भिन्न होने यानि राजस्व रिकार्ड कानाराम जमाबन्दी जैरवाद भूमि में अलग नाम व अन्य दस्तावेजात में अलग नाम होने से भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि बैंक से ऋण आदि लेने सहकारी समिति से सरकारी सहायतार्थ बीज आदि लेने फव्वारा पद्धति से सिंचाई हेतु सहायता आदि प्राप्त करने पर जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात में नामो से भिन्नता होने से वादीगण किसी प्रकार से कोई सहायता आदि प्राप्त नहीं कर सकता हैं। इसलिए ही वादीगण यह वाद पत्र प्रस्तुत कर रहा हैं। वादीगण की एक बहन विमला देवी का स्वर्गवास हो जाने से उसके वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं चूंकि विमलादेवी के हिस्से व हक में वादीगण के नाम परिवर्तन या रिकार्ड में उर्फ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता हैं इसलिए उसके जायज वारिसो को पक्षकार नहीं बनाया जा रहा हैं। वादीगण के जो नाम जमाबन्दी में है उन नामो के आगे सिर्फ उर्फ ही और लगाया जा रहा है जिससे प्रतिवादीगण के हिस्सा या हको पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि रिकार्ड में इन्द्राज रहेगी। आज से 5 दिन पूर्व दिनांक 11.03.2019 को वादीगण तहसीलदार साहब सूरतगढ़ की अदालत में गये व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जमाबन्दी के अलावा वादीगण के नाम क्रमश जगदीश व कन्हैयालाल हैं जो जमाबन्दी में पूर्व में अंकित नाम क्रमशः मोहन व कानाराम के आगे उर्फ लगाया जावे, इस पर तहसीलदार सूरतगढ़ ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया व कहा कि आप उचित अदालत में वाद प्रस्तुत करके ही अपना नाम जुड़वा सकते हो तहसीलदार सूरतगढ़ की नाम में उर्फ लगाने की इन्कारी ही वाद करने का मुख्य कारण व वाद कारण उत्पन्न हुआ हैं इसलिए ही श्रीमान जी की अदालत में यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादीगण अनपढ–घरेलू व जमीदारा करते हैं व पशुपालन करते हैं। पहले कभी रिकार्ड में ध्यान नहीं दिया कि जमाबन्दी में नाम घर में पुकारने वाले नाम का इन्द्राज हो गया हैं। अब जमाबन्दी निकलवाई व खेत में ट्यूबवैल पर बिजली का कनेक्शन लेने बाबत व बीज खाद के लिए सहकारी समिति में गये व वहां सहकारी स[illegible] वादीगण का पहचान पत्र व आधारकार्ड प्रस्तुत किये तो बताया गया कि जमाबन्दी [illegible] के नाम में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:45:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

अन्तर हैं कि जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात के नामें में अन्तर हैं चूंकि जमाबन्दी में वादीगण के नाम घर में पुकारे जाने वाले नाम दर्ज करवा दिये हैं इसलिए वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अतः वाद पत्र वादी का स्वीकार किया जावे तथा अनुतोष क ता घ अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, 5 व 6 की तरफ से अभिभाषक हाजिर आये तथा अपना इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया व पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार तहसील सूरतगढ़ के चक 36 पी.बी.एन. के खाता संख्या 85/76 जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 में वादी संख्या 1 जगदीश का नाम मोहन दर्ज है तथा वादी संख्या 2 कन्हैयालाल का नाम कानाराम दर्ज है। । वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो वोटरकार्ड, आधारकार्ड व राशनकार्ड में वादीगण का नाम क्रमशः जगदीश व कन्हैयालाल दर्ज है। नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा जारी वादीगण के पिता स्व. रामेश्वरदास के वारिस प्रमाण पत्र में वादी संख्या 1 का नाम जगदीश प्रसाद दर्ज हैं तथा वादी संख्या 2 का नाम कन्हैयालाल दर्ज है। इसी प्रकार वादी संख्या 1 के आधारकार्ड, पेनकार्ड व राशनकार्ड में वादी संख्या 1 का नाम जगदीश प्रसाद दर्ज हैं। प्रतिवादीगण जो जैरवाद रकबा में सहखातेदार हैं इन्होने भी अपने इकबालजवाबदावा के माध्यम से स्वीकार किया हैं कि वादीगण के नाम ही जमाबन्दी में मोहन व कानाराम दर्ज हैं कोई अन्य व्यक्ति नहीं हैं। अतः दावा स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 36 पी.बी.एन. की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 85/76 के प0न0 54/378 मु0न0 33 के किला नम्बर 6 में 0.2530 हैक्टेयर, 7 में 0.2530 हैक्टेयर, 8/2 में 0.2150 हैक्टेयर, 13/3 में 0.1960 हैक्टेयर, 14/2 में 0.2400 हैक्टेयर, 15 में 0.2530 हैक्टेयर, 16/2 में 0.0130 हैक्टेयर कुल 1.4230 हैक्टेयर नहरी नाली प्रथम खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाते में दर्ज वादी संख्या 1 का नाम **मोहन** के स्थान पर **मोहन उर्फ जगदीश प्रसाद** तथा वादी संख्या 2 का नाम **कानाराम** के स्थान पर **कानाराम उर्फ कन्हैयालाल** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष समस्त प्रविष्टियां पूर्ववत रहेगी। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक . . को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:45:06 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

1. जगदीश उर्फ मोहन
2. कन्हैयालाल उर्फ कानाराम

} पुत्रगण रामेश्वरलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड न. 17 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....**वादीगण**

बनाम़

1. लिछमा देवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड न. 17 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. किशनलाल
3. श्रवण
4. राजू
5. पुष्पा
6. मीरा

} पुत्रगण व पुत्रीयां रामेश्वरलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड न. 17 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

7. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....**प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 56 वर्ष 2019 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री भागीरथ बिश्नोई, अमित सैनी व वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5, 6 श्री कुलविन्द्र सिंह व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 36 पी.बी.एन. की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 85/76 के प0न0 54/378 मु0न0 33 के किला नम्बर 6 में 0.2530 हैक्टेयर, 7 में 0.2530 हैक्टेयर, 8/2 में 0.2150 हैक्टेयर, 13/3 में 0.1960 हैक्टेयर, 14/2 में 0.2400 हैक्टेयर, 15 में 0.2530 हैक्टेयर, 16/2 में 0.0130 हैक्टेयर कुल 1.4230 हैक्टेयर नहरी नाली प्रथम खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाते में दर्ज वादी संख्या 1 का नाम **मोहन** के स्थान पर **मोहन उर्फ जगदीश प्रसाद** तथा वादी संख्या 2 का नाम **कानाराम** के स्थान पर **कानाराम उर्फ कन्हैयालाल** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष समस्त प्रविष्टियां पूर्ववत रहेगी।

नोज..... × ..... मुबलिग.....× ..... बाबत.....×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..... × ..... फस्दो की पालना ..... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25/09/2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:45:06 IST
Reason: SelfAttested